भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 582

उत्तर देने की तारीख 16 सितम्बर, 2020

ग्रामीण डाक सेवक

582. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लाभ मिल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) जीडीएस को प्रदान की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) जीडीएस के लिए अधिकतम कार्यकारी घंटों को पांच घंटे प्रतिदिन तक सीमित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि कई जीडीएस अपने कार्य की प्रकृति के कारण उक्त कार्यकारी घंटे से अधिक कार्य करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो अत्यधिक कार्यकारी घंटों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार का जीडीएस को नियमित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) जी, नहीं। ग्रामीण डाक सेवकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अंतर्गत कवर करने के संबंध में विभाग का कोई विनियम नहीं है। ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सिविल पदधारी हैं, परंतु नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर हैं। अत: उन्हें नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। गुरुसेवक सिंह तथा अन्य के मामले में, वर्ष 2019 की सिविल अपील सं. 3050 एवं 3151 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीडीएस, उपदान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। जीडीएस का कार्य अंशकालिक स्वरूप का है और इस कार्य के लिए उन्हें समय संबद्ध निरंतरता भत्ते (टीआरसीए) का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जीडीएस कार्मिक के नियोजन हेतु यह भी अनिवार्य है कि उसके पास आजीविका का कोई वैकल्पिक स्रोत हो।

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध - I** के रूप में संलग्न है।

(ग) ग्रामीण डाक सेवकों के अधिकतम कार्य घंटों को प्रतिदिन 5 घंटे तक सीमित रखा गया है, क्योंकि इन कार्मिकों का कार्य अंशकालिक स्वरूप का है, जिसके लिए इन्हें समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टीआरसीए) प्रदान किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक कार्मिक के नियोजन हेतु यह भी अनिवार्य है कि उसके पास आजीविका हेतु कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं। ग्रामीण डाक सेवक प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे तथा अधिकतम 5 घंटे के लिए कार्य करते हैं। यह कार्य अंशकालिक स्वरूप का है और इसके लिए इन्हें समय संबद्ध निरंतरता भत्ता प्रदान किया जाता है। साथ ही, प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक कार्मिक के नियोजन हेतु यह भी अनिवार्य है कि उसके पास आजीविका हेतु कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में दिए गए अपने एक निर्णय में यह निर्धारित किया है कि ग्रामीण डाक सेवक सिविल पदधारी हैं, परंतु नियमित सिविल सेवा के दायरे से बाहर हैं। हाल ही में, ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा दायर ओ. ए. सं. 749/2015, 3540/2015 और 613/2015 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान न्यायपीठ, दिल्ली ने दिनांक 17.11.2016 के अपने संयुक्त आदेश में ग्रामीण डाक सेवक

कार्मिकों के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उन्हें नियमित सिविल सेवकों के समान माना जाए।

पदोन्नति के अवसर :-

(1) जीडीएस कार्मिकों को, वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर मल्टी टास्किंग स्टॉफ की 50% रिक्तियों पर तथा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 25% रिक्तियों पर आमेलन के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

(2) 50 वर्ष तक की आयु वाले जीडीएस कार्मिकों को, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पोस्टमैन की 50% रिक्तियों पर भर्ती करने हेतु विचार किया जाता है।

(3) डाक सहायकों के पदोन्नति कोटा के अंतर्गत रिक्त पड़े पदों को भी जीडीएस के लिए उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते कि वे शैक्षणिक अर्हता, आयु संबंधी शर्तों को पूरा कर रहे हों तथा अभिरुचि परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट) में सफल हों।

अनुबंध ।

सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) कार्मिकों को निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं मुहैया कराई गई हैं :-

(i) ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) कार्मिक की कार्यावधि (ड्यूटी) के समय/कार्यावधि (ड्यूटी) के बाद मृत्यु के मामले में तात्कालिक व्यय को वहन करने हेतु मृतक ग्रामीण डाक सेवक कार्मिक के परिवार को 10,000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(ii) ड्यूटी के दौरान आतंकवादी घटना/डकैती की घटना के कारण मृत्यु के मामले में 1,50,000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(iii) ड्यूटी (कार्यावधि) के बाद दंगों, लुटेरों तथा आतंकवादियों के हमले में जीडीएस कार्मिक की मृत्यु के मामले में 12,000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(iv) ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना में जीडीएस की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 25,000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(v) ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के व्यय हेतु 5000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(vi) कुछेक रोगों जैसे कैंसर, ब्रेन हैमरेज, गुर्दे खराब होना/प्रत्यारोपण, हृदय रोग आदि के मामले में बड़े सर्जिकल ऑपरेशन के लिए 20,000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(vii) ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर, तीन दिन से अधिक के लिए, अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होने की स्थिति में 5000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(viii) टी.बी. से ग्रस्त जीडीएस कार्मिकों को किसी सरकारी अस्पताल से इंडोर उपचार के दौरान पोषण आहार के लिए 400/- रु. प्रति माह और बाह्य रोगी होने के मामले में 200/- रु. प्रति माह की वित्तीय सहायता। यह सहायता राशि, केवल एक बार और अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि ग्रामीण डाक सेवक कार्मिक कम से कम 6 वर्ष की नियोजन अवधि पूरी कर चुका हो।

(ix) जीडीएस कार्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करना (मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार) :-

(क) आईआईटी, एम्स और आईआईएम के लिए 1000/- रु. प्रति माह।
(ख) तकनीकी शिक्षा : डिग्री कोर्स के लिए 280/- रु. प्रति माह तथा डिप्लोमा के लिए 190/- रु. प्रति माह।

(x) गैर-तकनीकी डिग्री :- बी.ए./बी.एससी./बी. कॉम तथा ललित कला (फाइन आर्ट्स) में डिग्री के लिए 150/- रु. प्रति माह तथा आईटीआई सर्टीफिकेट कोर्स के लिए 940/- रु. प्रति वर्ष।

(xi) 10वीं तथा 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने पर प्रोत्साहन :-

सर्कल/क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1000/- रु.
सर्कल/क्षेत्र में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 800/- रु.
सर्कल/क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 700/- रु.
सर्कल/क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त करने पर 600/- रु.
सर्कल/क्षेत्र में पांचवां स्थान प्राप्त करने पर 500/- रु.

(xii) जीडीएस कार्मिकों के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए 200/- रु. की छात्रवृत्ति (अधिकतम 8 वर्षों के लिए तथा मौजूदा नियमों एवं शर्तों के अनुसार)।

(xiii) प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़ आदि की स्थिति में 5000/- रु. की वित्तीय सहायता।

(xiv) अधिकतम 2 संतानों के लिए संतान शिक्षा सहायता भत्ते के रूप में 6000/- रु. प्रतिवर्ष।

(xv) कोविड-19 से ग्रस्त जीडीएस कार्मिकों के मामले में 20,000/- रु. की वित्तीय सहायता।

*****